

निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ०प्र०,
तृतीय तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

पत्र संख्या : C-1452 / बा०वि०परि० / निर्माण / 2016-17 दिनांक : 16 सितम्बर, 2016


समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी / प्रभारी,
उत्तर प्रदेश।

विषय : विभागीय भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के अपग्रेडेशन के सम्बन्ध में।

निदेशालय पत्र संख्या : सी०-1244 / बा०वि०परि० / निर्माण / 2016-17 दिनांक 24 अगस्त 2016 का संदर्भ ले जिसके द्वारा आई०सी०डी०एस० मिशन के अन्तर्गत विभागीय भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के अपग्रेडेशन के सम्बन्ध में सूचना दिनांक 26 अगस्त 2016 तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे कि उन आंगनबाड़ी केन्द्रों पर, जहाँ इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वहाँ क्रेच हेतु एक अतिरिक्त कक्ष के निर्माण हेतु रु. 1.00 लाख की सीमा तक की व्यवस्था की गयी है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि विभागीय भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के अपग्रेडेशन हेतु केन्द्रवार सुस्पष्ट प्रस्ताव संशोधित प्रारूप पर हार्ड कापी एवं साफ्ट कापी (एम०एस०एक्सेल) में दिनांक 30 सितम्बर, 2016 तक अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। प्रकरण अतिमहत्वपूर्ण है। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।

संलग्नक : संशोधित प्रारूप।



(आनन्द कुमार सिंह)
निदेशक

पृष्ठांकन : _____ / तददिनांक।

प्रतिलिपि : विशेष सचिव, महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2, उ०प्र० शासन।

/

(आनन्द कुमार सिंह)
निदेशक

आंगनबाड़ी केन्द्र के अपग्रेडेशन हेतु मांग का संशोधित प्रारूप

जनपद का नाम :

क्रम सं०	परियोजना का नाम	विभागीय भवन में स्थित आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम जहाँ पर अपग्रेडेशन कराया जाना है	विभागीय भवन के निर्माण का वर्ष	प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र रु. 1.00 लाख की सीमा तक अतिरिक्त कक्ष/अपग्रेडेशन हेतु आवश्यक धनराशि	प्रस्तावित कार्य का संक्षिप्त विवरण
1	2	3	4	5	6
	कुल योग				

जिला कार्यक्रम अधिकारी के
हस्ताक्षर/नाम/पद नाम, दिनांक सहित